मंत्रिपरिषद्, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों आदि के मध्य परिचालित करने हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जून, 2008 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का मासिक सार

****

शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में जून, 2008 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णयों/कार्यों का मासिक सार निम्नलिखित हैः-

1. <u>सार्वजनिक महत्व के कार्य</u>

(i) माह के दौरान के0 लो0 नि0 वि0 द्वारा निम्नलिखित समारोहों का आयोजन किया गयाः-

(क) के0 लो0 नि0 वि0 द्वारा केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (दक्षिण पश्चिम क्षेत्र), बंगलौर के लिए निर्मित कार्यालय भवन का उद्घाटन दिनांक 11.6.2008 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री प्रो0 सैफुद्दीन सोज द्वारा किया गया ।

(ख) बिहार के मधुबनी जिले में के0 लो0 नि0 वि0 द्वारा बनाई जाने वाली सड़क के निर्माण कार्य की आधारशिला गृह राज्य मंत्री डा0 शकील अहमद द्वारा रखी गई । परियोजना की कुल लागत 2.55 करोड़ रु0 है ।

2. **महत्वपूर्ण नीति संबंधी मुद्दे**

(i) शहरी विकास संबंधी भारत-जापान कार्यदल की दूसरी बैठक

शहरी विकास संबंधी भारत-जापान कार्यदल की दूसरी बैठक, जिसका आयोजन नई दिल्ली में दिनांक 16.6.2008 को किया गया था, में सचिव (यूडी) ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया । जापान सरकार की ओर से इंजीनियरी कार्य, भूमि अवस्थापना तथा परिवहन मंत्रालय के उप मंत्री श्री तानिगुची ने जापानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया । कार्यदल द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गयाः-

(क) रीसाइक्लड पानी का पीने के प्रयोजन को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए पुनः प्रयोग ।

(ख) जल प्रशिक्षण संस्थान ।

(ग) भूकंप आपदा रोकथाम ।

(घ) शहरी शासन तथा जेएनएनयूआरएम ।

(ड.) भारत में शहरी आयोजना ।

(च) महानगरों में सुस्थिर शहरी परिवहन ।

(छ)	शहरी क्षेत्रों में टी एस नीति ।

(ज)	आधुनिक नगर बस सेवा ।

(झ)	सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र में क्षमता निर्माण ।

विचार-विमर्श के आधार पर कार्यदल द्वारा सहयोग के अन्य क्षेत्रों का पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गयाः-

- सीवेज शोधन/शहरी क्षेत्र की अन्य परियोजनाओं में स्वच्छ विकास तंत्र परियोजनाएं
- ऊर्जा की पूर्ति
- जल तथा सफाई क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाएं तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी
- महानगर आयोजना शहरी नवीकरण
- आपदा प्रबंधनः नीतियां एवं प्रौद्योगिकी
- जीआईएस आधारित उपयोग मानचित्रण
- विकसित परिवहन प्रणाली का उपयोग करते हुए व्यापक परिवहन आयोजना व प्रबंधन
- आईटीएस के साथ आधुनिक नगर बस सेवा तथा यातायात सूचना प्रबंध केन्द्र
- शहरी परिवहन के क्षेत्रों जैसे आईटीएस, रेल आधारित परिवहन प्रणाली, मल्टी मॉडल एकीकरण में क्षमता निर्माण

(ii) विश्व नगर शिखर सम्मेलन, 2008

सिंगापुर सिविल सर्विस कालेज, ली कॉन ईव स्कूल आफ पब्लिक पालिसी एवं राष्ट्रीय विकास मंत्रालय द्वारा सिंगापुर में 23-25 जून, 2008 को संयुक्त रुप से आयोजित विश्व नगर सम्मेलन 2008 के उद्घाटन में सचिव (शहरी विकास) ने भाग लिया था । नवंबर, 2007 में तीसरे ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित उद्घोषणा में इस कार्यक्रम का उल्लेख हुआ है । सचिव (शहरी विकास) ने 26 जून 2008 को आयोजित इंडिया बिजनेस फोरम में एक मुख्य वक्ता के रुप में सिंगापुर इंटरनेशनल वाटर वीक 2008 में भी शिरकत की ।

(iii)	शहरी विकास मंत्रालय ने चार राज्यों अर्थात केरल, उड़ीसा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश प्रत्येक के चार शहरी स्थानीय निकायों(यूएलबी) में विकेन्द्रीकृत शहरी शासन हेतु क्षमता निर्माण पर भारत सरकार -यूएनडीपी सहायता प्राप्त परियोजना को कार्यान्वित किया है । परियोजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित यूएलबी में म्युनिसिपल लेखा, संपत्ति शहरी सुधार का कार्यान्वयन, यूएलबी से संबंधित क्रेडिट एवं नागरिक सुविधा केन्द्रों का सृजन करना है । यह परियोजना 30 जून, 2008 को समाप्त हुई । इस परियोजना के समापन में दिनांक 30 जून, 2008 को मंत्रालय द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था । इस कार्यशाला में संबंधित राज्य सरकारों, नगरपालिकाओं, राज्य स्तरीय एजेंसियों एवं अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे । कार्यशाला के दौरान नगरपालिकाओं द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों को दिखाया ।

(iv) सेक्टर-डी-I एवं डी-II, वसंत कुंज, जोन-जे में 'कृषि एवं जल निकाय' (ग्रामीण) से (i)सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी सुविधा (इंस्टीट्यूट आफ लीवर बिलियरी साइंसेज) (ii)मनोरंजन (खेलकूद परिसर)एवं (iii)सड़क परिचालन तक के 6.50 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दिनांक 24.6.2008 को भू-उपयोग के बदलाव हेतु अधिसूचना जारी की जा चुकी है ।

(v) मंत्रालय ने एमपीडी-2021 के कुछ प्रावधानों को बदलने की प्रक्रिया को शुरु करने का निर्णय किया है जो निम्नवत हैः-

(क) आवासीय परिसर के विभिन्न उपयोग को अनुमति देने के उद्देश्य हेतु 'अन्य कार्यकलाप' की श्रेणी में स्वास्थ्य केन्द्रों एवं एनजीओ को शामिल करना ।

(ख) एलबीजेड क्षेत्रों, सिविल लाइंस एवं हेरिटेज संरचना पर आधारित होटलों के अलावा सभी होटलों के संबंध में फर्शीय क्षेत्रफल अनुपात (एमएआर) को 150 से बढ़ाकर 225 करना एवं भूतल कवरेज को 30% से बढ़ाकर 40% करना ।

(vi) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सक्षम लेन क्षमता एवं कार्य क्षेत्र प्रबंधन, उपयोगिता समन्वय, यातायात नियमों का विकास करके तथा यातायात पिटफाल्स को दूर करके यातायात सुधार प्रबंधन हेतु मानक परिवहन योजना व्यवहार, क्षमता निर्माण, प्रवर्तन उपायों, सड़क सुरक्षा ऑडिट, यातायात इंजिनियरी व्यवहारों तथा बेहतर संगठनात्मक समन्वय को अपनाकर गतिशीलता बढ़ाने , भीड़भाड़ को कम करने एवं यातायात सुरक्षा को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए डीडीए द्वारा एकीकृत यातायात एवं परिवहन अवस्थापना (आयोजना एवं इंजीनियरी) की स्थापना हेतु मंत्रालय का अनुमोदन स्वीकार्य है ।

(vii) वित्त वर्ष 2008 (डबल ट्रैक के प्रथम बैच) जापानी ओडीए ऋण पैकेज-चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के लिए विस्तृत तथा प्राप्ति मिशन से संबंधित अंतिम विचार-विमर्श का आयोजन दिनांक 10.6.2008 को मंत्रालय में किया गया था ।

(viii) आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली तक एक्सप्रेस रेल/सड़क तंत्र को सुविधाजनक बनाने हेतु एक बैठक दिनांक 18.6.2008 को सचिव (यूडी) की अध्यक्षता में हुई थी ।

(ix) भारत में मध्यम आकार के शहरों में शहरी परिवहन हेतु टूलकिट्स पर एडीबी द्वारा सहायता प्राप्त कार्यशाला का आयोजन मंत्रालय द्वारा गोवा में दिनांक 15-17 जून, 2008 तक किया गया था जिसका उद्देश्य बस सेवा सुधार, बस रैपिड ट्रांजिट, पार्किंग, नान-मोटराइज्ड परिवहन एवं व्यापक गतिशीलता योजना पर एडीबी परामर्शदाताओं द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट टूलकिट/दिशानिर्देशों पर विचार विमर्श करना एवं अंतिम रुप देना था । इस कार्यशाला में राज्य एवं शहर के सरकारी कर्मचारी परिवहन विशेषज्ञ, एडीबी कर्मचारी एवं अन्य मौजूद थे ।

(x) वैकल्पिक विश्लेषण, बस प्रणाली प्रबंधन, सरकारी निजी भागीदारी एवं शहरी परिवहन सेक्टर हेतु सांस्थानिक ढांचा कार्य पर ड्राफ्ट टूलकिट/दिशानिर्देशों पर विचार-विमर्श करने एवं अंतिम रुप प्रदान करने हेतु दिनांक 30 जून, 2008 को भारतीय पर्यावास केन्द्र, नई दिल्ली में दीर्घकालीन शहरी परिवहन योजना पर विश्व बैंक-डीएफआईडी द्वारा सहायता प्राप्त कार्यशाला का आयोजन किया गया था । कार्यशाला में राज्य सरकारों के कर्मचारी, परिवहन प्राधिकारी, विश्व बैंक एवं अन्य के कर्मचारियों ने भाग लिया ।

(xi) 'राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति' पर विचार करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति की बैठक का आयोजन दिनांक 19.6.2008 को संसद भवन, एनेक्सी, नई दिल्ली में किया गया था ।

(xii) **जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत कार्यो की मुख्य बातें:-**

(क) दिनांक 19.6.2008 को केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति(सीएसएमसी) की दो बैठकें आयोजित की गई थी ।

(ख) 97.63 करोड़ रु0 की कुल लागत से तीन (3)परियोजनाएं अनुमोदित की गई ।

(ग) वित्त मंत्रालय द्वारा 4011.56 लाख रु0 की धनराशि जारी की गई ।

(घ) वित्त मंत्रालय द्वारा डीपीआर बनाना प्रतिपूर्ति लागत के लिए 520.46 लाख रु0 जारी किया गया था ।

(ङ.) कार्यक्रम प्रबंधन इकाई(पीएमयू)(उत्तराखंड)के लिए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया गया ।

(च) चार शहरों (देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, एवं सूरत) के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू) हेतु तीन प्रस्ताव अनुमोदित हुए ।

(छ) जून, 2008 में क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था । म्यूनिसिपल एवं पैरास्टेटल कर्मचारियों के लिए दो द्रुत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आरटीपी) का संचालन किया गया था । 4 आरटीपी का संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किया गया था ।

(ज) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत नगर विकास योजना (सीडीपी), समझौता ज्ञापन (एमओए) एवं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक के संबंध में प्रगति रिपोर्ट अनुलग्नक-। में है ।

(xiii) **छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम(यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत कार्यो की मुख्य बातें:-**

(क) यूआईडीएसएसएमटी के केन्द्रीय सहायता प्राप्त स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 हेतु 879.69 करोड़ रु0 का परिव्यय निर्धारित किया गया है ।

(ख) दिनांक 30 जून, 2008 तक 352 कस्बों में 431 परियोजनाओं हेतु 2543.82 करोड़ रु0 की एसीए की प्रथम किस्त जारी की जा चुकी है तथा 3 राज्यों के 9 कस्बों में 9 परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रुप में 17.54 करोड़ रु0 की धनराशि जारी की जा चुकी है ।

(ग) तमिलनाडु के 17 कस्बों के लिए समझौता ज्ञापन(एमओए) प्राप्त हुए हैं जिनकी जांच की जा रही है ।

(घ) तिमाही समाप्ति मार्च, 2008 तक क्यूपीआर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश राज्यों से प्राप्त हो चुके हैं एवं इनके जांच की प्रक्रिया चल रही है ।

(ड.) राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक एवं उत्तर प्रदेश से प्राप्त लगभग 149.00 करोड़ रु0 की शामिल एसीए जारी करने के प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं ।

(च) राजस्थान राज्य ने एक कस्बे नामतः राजखेड़ा हेतु उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और इसकी दूसरी और अंतिम किस्त जारी करने के लिए जांच की जा रही है ।

(छ) स्कीम की समुचित निगरानी आदि हेतु राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को एक अर्द्ध शासकीय (डीओ) पत्र भेजा गया है ।

(xiv) **नेताजी नगर के पुनर्विकास की परियोजना के तहत की गई प्रगति (नई दिल्ली में सरकारी आवास स्कीम):**

(ग) सीसीईए हेतु नोट अंतिम चरण में है ।

(घ) सड़क जोड़ने हेतु आवश्यक भूमि के संबंध में एनबीसीसी ने इस मामले को रेलवे बोर्ड के साथ उठाया है ।

(xv) मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में स्थित भारत सरकार के तीन पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में महसूस की जा रही कठिनाईयों की स्थिति अनुलग्नक-।। में दी गई है ।

(xvi) राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन लिमिटेड (एनबीसीसी) को आईआईटी, रुड़की में 1300 लाख रु0 की अनुमानित लागत वाले एक लेक्चर हॉल काम्पलेक्स के निर्माण का कार्य दिया गया था ।

(xvii) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीमों के लिए एक मुश्त प्रावधान के तहत जून, 2008 में जारी धनराशि का ब्यौरा अनुलग्नक-।।। में दिया गया है ।

(xviii) जून, 2008 के अंत तक दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा आबंटित /पेशकश किए गए/ खाली कराए गए सरकारी मकानों की सं0 और लंबित बेदखली के मामलों की संख्या के संबंध में ब्यौरा अनुलग्नक-iv में है ।

(अदिति एस.रे.)
आर्थिक सलाहकार

अनुलग्नक-I

जून, 2008 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत प्रगति

मद	मई, 2008 तक की स्थिति	जून, 2008 तक की स्थिति	अद्यतन स्थिति
शहरी विकास योजना(सीडीपी)			
i . प्राप्त	63	--	जेएनएनयूआरएम के तहत सभी 63 शहरों के लिए मूल्यांकित सीडीपी
ii . मूल्यांकित	63	--	
करार ज्ञापन (एमओए)			
i . हस्ताक्षरित	62	-	62
केन्द्रीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठके			
i .आयोजित बैठकों की संख्या	54*	1*	55*
ii . अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	327	3	330
iii.वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एसीए	4143.72 करोड़ रू0	40.11 करोड़ रू0	4183.41 करोड़ रू0

* दो विशेष सीएसएमसी बैठकों को मिलाकर, जो कि 04.06.07 और 13.06.07 को आयोजित की गई ।

<u>अनुलग्नक-।।</u>

मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार के तीन पाठ्यपुस्क मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में महसूस की जा रही कठिनाइयों की स्थिति

****

मंत्रिमंडल ने दिनांक 1.2.2006 को हुई अपनी बैठक में मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार के तीन पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण करने का निर्णय लिया था ।

पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस मंत्रालय के दिनांक 9.8.07 के अ.शा.पत्र के तहत दिनांक 30.8.2008 तक समय बढ़ाने की मांग की गई है । मंत्रिमंडल सचिवालय से उत्तर अभी प्राप्त होना है ।

****

अनुलग्नक-III

जून,2008 माह के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	जारी राशि
1	इंफाल, मणिपुर में सिटी कंवेंशन सेंटर का निर्माण	615.02
2	कोहिमा, नागालैंड तक जल आपूर्ति का आवर्द्धन	970.52

अनुलग्नक-iv

जून,2008 के अंत तक दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित / पेशकश किए गए / खाली कराए गए सरकारी मकानों /क्वार्टरों की संख्या और लंबित बेदखली मामलों की संख्या

****

टाईप	आवंटित/ पेशकश किए गए मकानों की संख्या	स्वीकार किए गए मकानों की संख्या	मकानों की संख्या जिन्हें नामंजूर करने के कारण आगे ले जाया गया	रद्द किए गए क्वार्टरों की संख्या जिनमें इस माह के दौरान बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है	ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या जिनके संबंध में बेदखली कार्रवाई चल रही है
टाईप-I	447	174	71*	18	51
टाईप-II	661	160	501	89	92
टाईप-III	335	93	242	26	163
टाईप- iv	146	26	120	7	14
टाईप- iv (स्पेशल)	37	11	26	1	17
टाईप- V क (डी-II)	42	13	29	1	42
डी-I	32	9	23	-	2
सी-II	19	12	7	-	-
सी-I व उससे ऊपर	-	-	-	-	9
हॉस्टल	88	55	33	2	2

* 202 क्वार्टरों के लिए अभी भी आवंटियों से स्वीकृति/अस्वीकृति प्रतीक्षित है ।